छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3 सी, 244,245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 31/01/2017

कमांक 48 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " **विश्वकर्मा दुर्घटना** मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना " में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **विश्वकर्मा दुर्घटना** मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना होगा।

(ii) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से रूपये 25,000/– अनुग्रह राशि तथा रूपये 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त प्रदाय किया जावेगा।

(iii) सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(iv) दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/–रू0 अनुग्रह राशि एवं रूपये 5000 अंत्येष्ठि सहायता राशि एक मुश्त भुगतान किया जावेगा तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000/–रू0 की राशि स्वीकृत की जावेगी। इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जावेगा।

(v) हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये दुर्घटना को ही योजना के तहत दुर्घटना माना जावेगा ।

(vi) योजना का लाभ अपंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता होने पर निर्माण श्रमिक के रूप में पुष्टि पश्चात् कंडिका (iv) की राशि प्रदाय की जावेगी ।

(vi) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(ii) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।

(iii) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने की उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक–दूसरे से हुई मार–पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नही की जावेगी।

(iv) योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर नहीं ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) योजना का आवेदन सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर मृत्यु/दुर्घटना दिनांक से एक वर्ष तक स्वीकृत किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारित के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(v) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, बैंक पासबुक, नामिनी का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vi) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा

(vii) सामान्य मृत्यु में मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(viii) दुर्घटना मृत्यु होने पर एफ आई आर की प्रति, पीएम रिपोर्ट की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ix) स्थायी अपंगता होने पर एफ आई आर की प्रति, डाक्टर से अपंगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षको द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अनुग्रह राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी (नामित व्यक्ति)को प्रदान की जावेगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके माता/पिता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सबके नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा, को राशि का भुगतान किया जावेगा।

(ii) हितग्राही के ऑन लाईन इन्द्राज में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा ।

(iii) योजना की स्वीकृति पश्चात् राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी ।

(फ) **अन्य विवरण :-**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

31/1/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क्र0 / /2156-2164 रायपुर, दिनांक 31/01/17

प्रतिलिपि :-

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2 निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3 श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7 सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
8 उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
9 उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/1/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल